**हिमाचल प्रदेश सरकार**
**परिवहन विभाग**

संख्याःटी.पी टी.–बी.(2)–4/94 वोल्यूम–10 तारीख शिमला–2, 18.07.,2007

# अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश में चौकीदार/सफाईकर्ता/स्वीपर वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। **1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग चौकीदार/सफाईकर्ता/स्वीपर वर्ग–IV अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां। **2.** (1) अधिसूचना संख्या टी.पी टी.–बी–4/94–भाग–10 तारीख 21.12.1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग चौकीदार/सफाईकर्ता/स्वीपर (वर्ग–4ए अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(।।) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन )
हिमाचल प्रदेश सरकार।

<u>उपाबन्ध– “क”</u>

**हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में 2520–4140 रूपए के वेतनमान में चौकीदार/सफाईकर्ता/स्वीपर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।**

| | |
|---|---|
| 1.पद का नाम | चौकीदार/सफाईकर्ता/स्वीपर |
| 2.पदों की संख्या | क्रमशः 4/ 5 |
| 3.वर्गीकरण | वर्ग–IV(अराजपत्रित) |
| 4.वेतनमान | 2520–100–3220–110–3660–120–4140 रूपये ( प्रारम्भिक आरम्भ 2620/–रूपए के साथ) |
| 5.चयन पद अथवा अचयन पद | लागू नहीं। |
| 6.सीधी भर्ती के लिए आयु: | 18 से 45 वर्ष । |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा मे रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थी को लागू नही होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पव्लिक सेक्टर,निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर,निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद/पदों को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

| | |
|---|---|
| 7.सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं: | **अनिवार्यः** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से आठवीं पास या इसके समकक्ष हो।<br><br>**वॉछनीय अर्हता :**<br>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। |
| 8. क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगीः | लागू नहीं। |
| 9.परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो ऐसी और सकेगा जैसा और से आदेश दें। | दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विस्तार किया जा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में लिखित कारणों |
| 10.भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता 1 | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर 1 |
| 11.प्रोन्नति,प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण | लागु नहीं 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संचरचना 1 | लागु नहीं 1 |
| 13. | परिस्थितियां जिनमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श लिया जाना है 1 | लागु नहीं 1 |
| 14 | सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा 1 | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत को नागरिक होना अनिवार्य है 1 |
| 15. | सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 1 | सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा 1 यदि यथास्थिति भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधाार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा 1 |

15—क. संविदा नियुक्ति के लिए निबन्धन और शर्तें।

I. संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश में चौकीदार/सफाईकर्ता (स्वीपर) को संवदि के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वषो। के लिए बढ़ाया जा सकेगा 1

(ख) अभ्यर्थियों का चयन विभागाध्यक्ष द्वारा दो अग्रणी समाचार पत्रों में रिक्त पद का विज्ञापन देकर किया जाएगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई

आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

## II. देय उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार/सफाईकर्ता (स्वीपर) कर्मचारी को 3930/—रूपए प्रतिमाह की दार से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी ) संगत की जाएगी 1

## III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी

निदेशक, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

## IV. चयन प्रकिया:

(क) संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि इन नियमों के अधीन विहित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

अभ्यार्थियों के चयन का मानदण्ड निम्न प्रकार से दर्शाए गए अंकों के विरतण के आधार पर होगा :—

| क्रम संख्या: | विशिष्टियां | अंक | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राईमरी में प्राप्त अंक | 5 | पांचवी में प्राप्त अंकों का 5 प्रतिशत 1 |
| 2. | उच्च्तर शिक्षा में प्राप्त अंक 1 | 5 | प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का 5 प्रतिशत 1 |
| 3. | अनुभव | 15 | ............ |
| 4. | हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान 1 | 5 | ............. |
| 5. | मौखिक परीक्षा | 10 | ..................... |
| | कुल:— | 40 | .................... |

## V.संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः

जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

चयन निदेशक, परिवहन हिमाचल प्रदेश द्वारा अभ्यर्थी की लिखित/ मौखिक परीक्षा संचालित कर किया जाएगा । यदि सम्बद्ध विषय में आवेदकों की संख्या रिक्तियों से दस गुणा अधिक है तो चयन समिति लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगी।

## VI. करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

## VII. निबन्धन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 3930/–की दर से नियत संविदात्मक रकम, 3930 वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी, प्रतिमास संदत्त की जाएगी। क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/–रूपये की वार्षिक

वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961 के अनुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

(ड) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति

कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार के वेतन का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

**VIII. नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार**

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में चौकीदार/सफाईकर्ता (स्वीपर) के रूप में नियमितिकरण/ आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

. आरक्षणः सेवा में नियुक्ति,हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17.शिथिल करने की शक्तिः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध– "ख"

........................................ हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक,परिवहन के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.......................................................... पुत्र/पुत्री श्री............................ ........................................ निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक, परिवहन के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के मध्य आज तारीख.............................. को किया गया।

**'द्वितीय पक्षकार'** ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने .......................... के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** ................ के रूप में........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम 3930/– रूपए प्रतिमास होगी।
3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त पर्यवसित)की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदात्मक चौकीदार/सफाईकर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। सविदात्मक चपरासी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।
6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक चौकीदार/सफाईकर्ता कर्त्तव्य (कार्य)से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नही होगा।
7. किसी भी अवस्था में संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में .... मास.... और वर्ष .........में अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1...........................................
...........................................
.........................................
( नाम व पूरा पता)

2.........................................
.........................................
.............................................
( नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में
1...........................................
...........................................
.........................................
( नाम व पूरा पता)

2.........................................
.........................................
.............................................
( नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

(Authoritative English text of this Department notification No.TPT-B(2)4/94-Vol-10 dated 18/7/2007 as required under clause (3)Article –348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport.
…

No. TPT-B(2)4/94-Vol. –10 Dated Shimla the 18/7/ 2007.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article –309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chowkidar/Sweeper Class-IV(Non-Gazetted) in the Department of Transport, Himachal Pradesh as per Annexure –'A' attached to this notification namely :-

| | |
|---|---|
| Short title and commencement. | 1 (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Transport Department, Chowkidar/Sweeper class–IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006.<br>(ii) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. |
| Repeal and Savings. | 2(i) The Himachal Pradesh, Transport Department Chowkidar/Sweeper Class-IV (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996, notified vide notification NO.TPT-B(2)4/94-10 dated 21.12.1996 are hereby repealed.<br>(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under Rules. |

By Order

Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.

**ANNEXURE-"A"**

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHOWKIDAR/SWEEPER CLASS-IV (NON-GAZETTED) IN THE PAY SCALE OF Rs. 2520-4140 IN THE DEPARTMENT OF TRANSPORT, HIMACHAL PRADESH.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Name of the post | : | Chowkidar/Sweeper |
| 2. | Number of post(s) | : | 4/5 respectively. |
| 3. | Classification | : | Class-IV (Non-Gazetted) |
| 4. | Scale of pay | : | Rs. 2520-100-3220-110-3660-120-4140 with initial start 2620. |
| 5. | Whether selection post or Non-selection post | : | Not applicable |
| 6. | Age for direct recruitment | : | Between 18 years and 45 years. |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are adverted for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well-qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s) : **ESSENTIAL**

(i) Primary pass or its equivalent from a Board/ Institution recognized by the Government.

Contd/-. 2 –

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **DESIRABLE QUALIFICATION**<br>Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. |
| 8. | Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s) | : | Not applicable |
| 9. | Period of probation, if any | : | Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. |
| 10. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation or transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods. | : | 100% by direct recruitment or on contract basis. |
| 11. | In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made. | | Not applicable. |
| 12. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition? | : | Not applicable. |
| 13. | Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. | : | Not applicable |
| 14. | Essential requirement for a direct Recruitment | : | A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India. |

Contd/-.3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Selection for appointment to post by direct recruitment. | : | Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority. |

15(A) Selection for appointment to the contract post by contract appointment :

(I) CONCEPT

(a) Under this policy, the Chowkidar/Sweeper in the department of Transport, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year to year basis for two more years.

(b). The vacant posts will be advertised by the by the Head of the Department in two leading News Papers.

(c). The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(d). Contract Appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularisation or permanent absorption in the Government job.

(II) EMOLUMENTS PAYABLE :-

The Chowkidar/Sweeper appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 3930 p.m. ¼which shall equal to initial pay scale plus DP per month.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY :

Director, Transport, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

Contd. /-.4.

(IV) SELECTION PROCESS :

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment recruitment shall be made on the basis of viva voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Selection Committee constituted under these Rules. The selection will be made by assessing the candidates as per the distribution of marks give below :-

| Sr. No. | Particulars | Marks | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Marks obtained in Primary | 5 | 5% of the marks obtained in fifth |
| 2. | Marks obtained in higher Education | 5 | ------do------ |
| 3. | Experience | 15 | |
| 4. | Knowledge of customs and manners of H.P. | 5 | |
| 5. | Viva-voce/ Interview. | 10 | |
| Total: | | 40 | |

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT :

As may be constituted by the Competent Authority from time to time.

The selection will be made by the Director, Transport, Himachal Pradesh by conducting the written/viva-voce test of the candidate. The Selection Committee may conduct the written test if the number of applicants is more than ten times the vacancies in concerned subject.

Contd./-.5.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS :

(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.3930 per month (which shall be equal to initial of pay scale plus dearness pay). The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

(b) Contract appointee shall not confer any right to the incumbent for the regularisation in service at any stage.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the Contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for salary for the period of absence from duty.

Contd./-. Page-6.

(e) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates, pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT :
The candidate engaged on contract basis under rules shall have no right to claim for regularisation/permanent absorption as Chowkidar/Sweeper at any stage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Reservation | : | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. |
| 17. | Powers to relax. | : | Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reason to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person (s) or post (s). |

-………..-